समयबद्ध / महत्वपूर्ण

Jon-305

महानगर लखनऊ–226006
फोन : 0522–2337455
Email-sec1pachq.lu@up.gov.in

पीएसी मुख्यालय
उत्तर प्रदेश

पत्रांकः पीएसी–1–106(1)2023/1852
दिनांकः जून 10 2026

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग उ0प्र0।

विषयः आरक्षी पीएसी / सशस्त्र पुलिस की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि इस मुख्यालय के पत्र संख्याः पीएसी–1–152 (1) 2023 दिनांक 15.05.2023 द्वारा पूर्व में दिनांक 31.12.2014 तक के भर्ती सशस्त्र पुलिस / पीएसी के आरक्षियों की अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया था। दिनांक 01.01.2015 से दिनांक 31.12.2016 के मध्य आरक्षी पीएसी की पूर्ण हुई भर्ती प्रक्रिया से चयनित आरक्षी पीएसी / सशस्त्र पुलिस की अनन्तिम वरिष्ठता सूची तैयार की गयी है। इस अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में मृतक आश्रित / सीधी भर्ती– 2013 पीएसी / सशस्त्र पुलिस के आरक्षी सम्मिलित हैं। इस अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का निर्धारण उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के नियम 22 (2) में निहित निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार किया गया हैः–

(2) दिनांक 02.12.2008 के बाद भर्ती कर्मियों की ज्येष्ठता का अवधारण

1. किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये कर्मियों की वरिष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। यहां चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।
2. बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती कर्मियों के चयन को एक पृथक चयन माना जायेगा। सीधी भर्ती के अन्तर्गत एकल चयन के माध्यम से भर्ती कर्मियों की पारस्परिक वरिष्ठता बोर्ड द्वारा निर्गत चयन सूची के क्रम के अनुसार होगी।
3. मृतक आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती कर्मियों एवं उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस / प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती, पदोन्नति प्रक्रिया नियमावली–2011 के अन्तर्गत भर्ती कर्मियों के प्रशिक्षण संस्थानों में चयन के पश्चात प्रशिक्षण में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार अवधारित होगी। एक प्रशिक्षण सत्र में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता अवधारण का आधार बनाया जायेगा। अंको का प्रतिशत एवं जन्मतिथि समान होने पर हाई स्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार ज्येष्ठता अवधारित की जायेगी।
4. पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त कर्मियों की ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी। एक ही चयन तिथि में नियुक्त किये गये कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित कर्मी पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित कर्मियों से ज्येष्ठ होंगे। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमादित किये जाने की तिथि से है।

2– उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उ0प्र0 पुलिस की उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट uppolice.gov.in पर पीएसी फोल्डर में सर्कुलर के अन्तर्गत उपलब्ध है। सीधी भर्ती / मृतक आश्रित श्रेणी के सशस्त्र पुलिस / पीएसी के आरक्षियों की ज्येष्ठता निर्धारण की यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी

अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के नियम 22 (2) के अनुसार की गयी है। सीधी भर्ती–2013 के अन्तर्गत चयनित आरक्षियों की ज्येष्ठता पुलिस उपमहानिरीक्षक "स्थपना" उ0प्र0 के पत्र संख्याः दस–आरक्षी भर्ती–2018–2021/1452 दिनांकः 25.05.2026 एवं उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्याः पीआरपीबी–एक–2/2022(13) दिनांक 20.05.2026 द्वारा प्राप्त एकल चयन सूची की श्रेष्ठता क्रम के अनुसार निर्धारित की गयी है।

3– उल्लेखनीय है कि आरक्षी नागरिक पुलिस/पीएसी/फायरमैन सीधी भर्ती–2013 के अन्तर्गत ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के *S.L.P. (Civil) No.21843-21844 of 2015, Hanuman Dutt Shukla and others vs. State of U.P. and others* मा0 उच्चतम न्यायालय नई द्वारा दिनांक 19.01.2016 को पारित आदेश के अंश निम्नवत हैः–

आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2013

As regards the selection of Constables, learned Advocate General stated that the State can accommodate only those candidates who could have been selected, had they not been excluded from the final result for having used whitener/blade in OMR sheets. For this purpose, Board will prepare Notional Result as per notified vacancies (41,610), after including all candidates who had used whitener/blad. Thereafter, separate list of all such candidates will be prepared who have found place in notional result, but could not find place in the result declared on 16.07.2015. After preparation of separate list of all such candidates, State will take steps to accommodate them, out of which 2500 candidates can be appointed as Constables in PAC, 1000 candidates can be appointed as Constables in Fire Service and rest of the candidates can be appointed in Civil Police. A Separate list will be prepared on the basis of marks obtained by them and such candidates will be kept below the already selected candidates. State will appoint only those candidates who are in the fresh Notional Result to be prepared by the Board, who could not be selected due to use of whitener/blade. None other will have any claim to appointment. All new candidates will be sent for training after completion of training of already selected candidates, as there is no vacancy in training centres at present. Appointments will be done as an exceptional and one-time measure. This will not be treated as a precedent for any other case.

4– मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सूचना/विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबीःअनु–6–प–1/2015 (पार्ट फाइल) दिनांक 21.05.2016 द्वारा निर्गत आदेश के प्रस्तर–10 में ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में व्हाइटनर/ब्लेड का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नवत स्पष्टीकरण भी दिया गया हैः– " दिनांक 19 जनवरी, 2016 के मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के उपरोक्त निर्णय के अनुसार इन चयनित अभ्यर्थियों को मूल ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों में ज्येष्ठता का कोई अधिकार नहीं होगा तथा इन्हें पूर्व से चयनित अभ्यर्थियों से नीचे रखा जायेगा। सभी नये चयनित अभ्यर्थी पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के पूरा होने के पश्चात प्रशिक्षण के लिये भेजे जायेंगे। इनकी नियुक्ति अपवाद स्वरूप तथा एकबारगी उपाय के तौर पर होगी और किसी अन्य मामले के लिये दृष्टान्त स्वरूप नहीं मानी जायेगी।" मा0 न्यायालय के उपरोक्त आदेशों एवं उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निर्गत सूचना/विज्ञप्ति एवं अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यह अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार की गयी है।

5– अनुरोध है कि कृपया अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित अपने जनपद/इकाई/वाहिनी मे नियुक्त पीएसी/सशस्त्र पुलिस के आरक्षियों को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि किसी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के आरक्षी को अपनी अनन्तिम ज्येष्ठता में नाम/पदनाम/पीएनओ/भर्ती तिथि/जन्मतिथि या किसी अन्य बिन्दु पर कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति अपने नियुक्ति के जनपद/इकाई/वाहिनी को दिनांकः 20.06. 2026 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दें। नियुक्ति जनपद/इकाई/वाहिनी द्वारा ऐसी आपत्तियों का परीक्षण अभिलेखों के आधार पर करते हुए तथ्यात्मक आख्या अपनी टिप्पणी/संस्तुति सहित दिनांक 25.06.2026 तक प्रत्येक दशा में पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जाये। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि कर्मी चाहें तो वह अपनी नियुक्ति के

जनपद/इकाई/वाहिनी को प्रस्तुत कर रहे आपत्ति सम्बन्धी प्रत्यावेदन की अग्रिम प्रति पीएसी मुख्यालय को सीधे भी प्रेषित कर सकता है। यदि दिनांकः 01.01.2015 के पूर्व के अथवा बाद के मृतक आश्रित भर्ती/सीधी भर्ती प्रक्रिया–2013 के अन्तर्गत चयनित किसी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के आरक्षी का नाम सूची में अंकित नहीं है तो उसका नाम संलग्न प्रारूप में इस मुख्यालय को दिनांकः 25.06.2026 तक उपलब्ध कराया जाये। यदि सूची में अंकित किसी कर्मी के सम्बन्ध में किसी कॉलम की सूचना अपूर्ण अथवा रिक्त है, तो उसकी भी सूचना निर्धारित प्रारूप में इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये। इसके अतिरिक्त यदि सूची में अंकित किसी कर्मी द्वारा सेवा त्याग (मृत्यु ,बर्खास्त, अन्यत्र चयन, त्यागपत्र) किया हो अथवा किसी का संवर्ग परिवर्तन (आरक्षी आरमोरर, आरक्षी चालक) हो गया हो तो, उसकी भी सूचना सम्बन्धित वाहिनी/जनपद/इकाई द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

संलग्नकः–अनन्तिम ज्येष्ठता सूची एवं प्रारूप।

(डा0 प्रीतिन्दर सिंह)
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

आरक्षी पीएसी सीधी भर्ती–2013 के आरक्षियों का विवरण																
क्र0सं0	अनुक्रमांक	पीएनओ	पदनाम	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि			जाति	श्रेणी (अनु0जाति अनु0जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य वर्ग)	नियुक्ति वाहिनी / इकाई / जनपद / कमिश्नरेट का नाम	गृह जनपद	आरक्षी पीएसी के पद पर भर्ती का दिनांक			टिप्पणी
						दिन	माह	वर्ष					दिन	माह	वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17